

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

--: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री लोकेश कुमार वर्मा व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राउमावि इकरान भरतपुर जिनकी जन्मतिथि 02.10.60 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 15.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री लोकेश कुमार वर्मा व्याख्याता (रसायन विज्ञान) द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 15.07.19 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री लोकेश कुमार वर्मा, के विरुद्ध आज तक:-

01. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
02. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विज्ञाप प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
03. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 27/05/19

ब्रम्बक शि.सि. / मा / संस्था / सी-4 / रजीगृ / स्वै.से.नि. / 2019-20
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, भरतपुर
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, भरतपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, भरतपुर
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा) मुख्यालय, भरतपुर
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
7. प्रधानाचार्य राउमावि इकरान भरतपुर
8. संबंधित कार्मिक श्री लोकेश कुमार वर्मा व्या. रसायन विज्ञान राउमावि इकरान भरतपुर
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
10. निजी / रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर